28.8.15

श्रीमति कृष्णा चौरे पत्नि श्री रामकिशोर चौरे

उम्र करीब 53 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी-

ग्राम पथरौटा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद (म०प्र०)

द्वारा:- मुख्त्यार आम -

दामोदर चौधरी उम्र लगभग 64 वर्ष आ०सालिग

रामचौधरी व्यवसाय- कास्तकारी निवासी ~~पुरानी~~

~~इटारसी~~ तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद(म०प्र०)------- पुनरीक्षणकर्ता,
आवेदक

विरूद्ध

1. कमाण्डेन्ट सी०पी०ई० इटारसी,
   तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद (म०प्र०)

2. रक्षा सम्पदा अधिकारी,
   रक्षा सम्पदा कार्यालय- जबलपूर सर्किल जबलपूर
   केन्ट (म०प्र०)

3. प्रमुख रक्षा सचिव, रक्षा विभाग,
   भारत सरकार नई दिल्ली

4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा,
   कलेक्टर महोदय होशंगाबाद जिला होशंगाबाद
   (म०प्र०)

----------उत्तरवादी/अनावेदक

Noted 22/9/18

यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्री [illegible] आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के अपील प्रकरण क्रमांक 78/अपील 2012-2013 जिसके पक्षकार कमाण्डेन्ट सी०पी०ई० इटारसी [illegible] रामगोपाल [illegible] में पारित आदेश दिनांक 04/07/2015 [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2855–पीबीआर/2015 **जिला –होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–09–2015	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–6–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में आवेदकपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। 2– आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के आदेश दिनांक 5–12–12 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वह रक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण कर प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करें । स्पष्ट है कि आयुक्त के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई व पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	